


उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-248/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री जितेन्द्र कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री जितेन्द्र कुमार प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा।
- 3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 7- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7
- 9- संबंधित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-249/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र पाल सिंह, अपर आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा।
- 3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 7- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7
- 9- संबंधित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-250/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री ब्रम्हदेव सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सुलतानपुर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सीतापुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, सुलतानपुर/सीतापुर।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-251/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री हर्षदेव पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सुलतानपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री पाण्डेय प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, सुलतानपुर/सीतापुर।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-252/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रेम प्रकाश उपाध्याय, सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, सीतापुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री उपाध्याय प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, सीतापुर।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 7- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-3/7
- 9- संबंधित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-253/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राम केवल तिवारी, अपर जिलाधिकारी (भू/अ) लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री तिवारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-254/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राम अरज, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) एटा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (भू/अ) लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री राम अरज प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, लखनऊ/एटा।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-255/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राकेश कुमार-1, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कासगंज को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कासगंज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री राकेश कुमार-1, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, कासगंज।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-256/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री योगेन्द्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट, आगरा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कासगंज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री योगेन्द्र कुमार प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, आगरा/कासगंज।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-257 / दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रभाकान्त अवस्थी, उपजिलाधिकारी, सीतापुर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, आगरा के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री अवस्थी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, आगरा / सीतापुर।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-258/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सियाराम, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) मुजफ्फरनगर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मुजफ्फरनगर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सियाराम प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-259/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट, रायबरेली को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि/रा) मुजफ्फरनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री आलोक कुमार प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर/रायबरेली।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-260/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री जय चन्द्र पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी, गेल इण्डिया लि0, वाराणसी को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, रायबरेली के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री पाण्डेय प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गेल इण्डिया लि0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, रायबरेली/वाराणसी।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 6- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 7- नियुक्ति अनुभाग-3/7
- 8- संबंधित अधिकारी।
- 9- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-261/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री जैनेन्द्र कुमार जैन, नगर मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए उप संचालक चकबन्दी, फर्रुखाबाद के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री जैन प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, चकबन्दी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 6- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 7- नियुक्ति अनुभाग-7
- 8- संबंधित अधिकारी।
- 9- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-262/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, उपजिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए कुलसचिव, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री शर्मा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर/गोरखपुर।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 7- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-3/7
- 9- संबंधित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-263/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रताप सिंह भदौरिया, नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री भदौरिया प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, झांसी
- 3- जिलाधिकारी, झांसी।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 7- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7
- 9- संबंधित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-264/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शेष नाथ, संभागीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- श्री शेष नाथ प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 2- आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 3- मण्डलायुक्त, झांसी/कानपुर।
 - 4- जिलाधिकारी, झांसी/कानपुर।
 - 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
 - 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
 - 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
 - 8- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
 - 9- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 10- संबंधित अधिकारी।
 - 11- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-265/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री महेन्द्र सिंह-11, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) महोबा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोबा के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, महोबा।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-266/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती पूनम निगम, नगर मजिस्ट्रेट, जालौन को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि/रा) महोबा के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्रीमती निगम प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगी तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगी। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, महोबा/जालौन।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-267/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अशोक कुमार शुक्ला, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, बरेली के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री शुक्ला प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 6- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 7- नियुक्ति अनुभाग-3/7
- 8- संबंधित अधिकारी।
- 9- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-268/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री विजय नारायण पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) चित्रकूट को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चित्रकूट के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री पाण्डेय प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-269/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री गणेश प्रसाद सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, बरेली को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि/रा) चित्रकूट के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, चित्रकूट/बरेली।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-270/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सुल्तान अशरफ सिद्दीकी, उपजिलाधिकारी, बरेली को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, जालौन के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिद्दीकी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, जालौन/बरेली।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-3/7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-271/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राम अक्षयबर, उपजिलाधिकारी, बरेली को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री राम अक्षयबर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद/बरेली।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-3/7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-272/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री महेन्द्र कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बलरामपुर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/बलरामपुर।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-273/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, उपजिलाधिकारी, अमेठी को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री मिश्रा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/अमेठी।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-3/7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-274/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बदायूँ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री श्रीवास्तव प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, बदायूँ/अलीगढ़।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-275/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राम निवास शर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बदायूँ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री शर्मा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, बदायूँ/अलीगढ़।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 5- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- संबंधित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-276/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री उपाध्याय प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/आजमगढ़।
- 4- जिलाधिकारी, वाराणसी/आजमगढ़।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 8- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- संबंधित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-277/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री देवी दास, मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री देवी दास प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।


उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद/गोरखपुर।
- 4- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 8- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- संबंधित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-278/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप सं०-टी-219/दो-2-2018, दिनांक 24.08.2018 द्वारा श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव-11, अधिशासी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम अतिरिक्त कार्यभार उ०प्र० सचिवालय सत्कार संस्था/सचिव, सर्तकता आयोग, लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है। श्री श्रीवास्तव अधिशासी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम अतिरिक्त कार्यभार उ०प्र० सचिवालय सत्कार संस्था/सचिव, सर्तकता आयोग, लखनऊ के पद पर यथावत् कार्यरत रहेंगे।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अध्यक्ष, सर्तकता आयोग, उ०प्र० लखनऊ।
 - 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद/ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद, उ०प्र० लखनऊ।
 - 4- जिलाधिकारी, जौनपुर।
 - 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
 - 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
 - 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
 - 8- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
 - 9- नियुक्ति अनुभाग-7
 - 10- संबंधित अधिकारी।
 - 11- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-279/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सतीश पाल, पी0सी0एस0 का कार्यालय ज्ञाप सं0-टी-233/दो-2-2018, दिनांक 24.08.2018 द्वारा अधिशासी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम अतिरिक्त कार्यभार उ0प्र0 सचिवालय सत्कार संस्था/सचिव, सर्तकता आयोग, लखनऊ के पद पर किया गया स्थानान्तरण निरस्त करते हुए श्री पाल को जनहित में संयुक्त सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सतीश पाल प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद/श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त, खाद्य एवं रसद उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 8- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- संबंधित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-280/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/आजमगढ़।
- 4- जिलाधिकारी, वाराणसी/आजमगढ़।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र०शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
- 8- अनुसचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र०शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- संबंधित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-281/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री उदय राज सिंह, अपर अवास आयुक्त, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/आवास, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- आयुक्त, आवास विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, लखनऊ/गोरखपुर।
- 5- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 9- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 10- नियुक्ति अनुभाग-7
- 11- संबंधित अधिकारी।
- 12- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-282/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री महेन्द्र कुमार राय, अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, कानपुरदेहात के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री राय प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/कानपुर।
- 4- जिलाधिकारी, वाराणसी/कानपुरदेहात।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 8- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- संबंधित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-283/दो-2-2018
लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री गौरव वर्मा, अपर आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री वर्मा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/मुरादाबाद।
- 4- जिलाधिकारी, जौनपुर/मुरादाबाद।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 8- अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- संबंधित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धनंजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।